

राजस्थान RAJASTHAN

—:: संपरिवर्तन आदेश / पट्टा पंजीयन ::—

152340

1. प्रलेख का प्रकार :- संपरिवर्तन आदेश / पट्टा का पंजीयन
2. प्राधिकृत अधिकारी :- जिला कलक्टर, सीकर
3. निष्पादनकर्ता :- वरदा सेवा समिति, नीमकाथाना, जिला- सीकर (राज.)  
जरिये वर्तमान सचिव राजेश कुमार कटारिया पुत्र श्री ओमनारायण कटारिया, जाति- जांगिड़, आयु- 37 वर्ष, निवासी- जोशी कॉलोनी, नीमकाथाना (सीकर)
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :- संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संपरिवर्तित भूमि :- खसरा नं. 475 रकबा 1.35 हैक्टेयर में से 13,438.24 वर्गमीटर, राजस्व ग्राम- चला, ग्राम पंचायत- चला, तहसील- नीमकाथाना, जिला- सीकर (राजस्थान)
6. संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एवं दिनांक :- एफ. 16 (21) भूरू./ ग्रामीण/ राजस्व/ 11/ 8273-81  
दिनांक : 12-10-2011
7. संपरिवर्तन शुल्क :- ₹ 1,04,314/-  
(₹ 1,01,678/- जरिये चालान सं. 166 दिनांक 08-12-2008 एवं ₹ 2,636/- जरिये चालान सं. 172 दिनांक 16-09-2011)
8. विशद-विवरण :- जो कि उपशासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक: 2(101) राजस्व/ भूरू./ 2009 दिनांक : 30-08-2011 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में आवेदक खातेदार वरदा सेवा समिति, नीमकाथाना, जिला- सीकर के आवेदन पर पहले से अकृषि प्रयोजन (आवासीय प्रयोजन)

लगातार ... 2



*Rajul*  
Secretary  
Varda Seva Samiti  
Neomkathana (Sikar) Raj.

200000x1 = 20,0000/-

2493  
09/12/11

वरदा सेवा समिति, नीमकाथाना जिला-सीकर (राज.)  
जरिमे वर्तमान सचिव राजेश कुमार फारिया पुत्र  
आमनारायण जाडिड नि० जोषी कॉलोनी-नीमकाथाना

पारसे-पट्टा पंजिमन  
03-12-11

Jai Singh  
Stamp Vander L. N. 28/05  
Neemkathana

१-१२-११ ॥ श्री. वरदा सेवा समिति  
को उप पंजिमन नाम का धारा  
राजेश कुमार पुत्र आमनारायण  
जाडिड, जवाहार, नीमकाथाना  
पट्टा १९

उप पंजिमन नाम का धारा


Rajni  
Secretary  
Varda Seva Samiti  
Neemkathana (Sikar) Raj.

पंजिमन शुल्क 4180 प्रतिनिधि शुल्क 300  
इन्डोरमेंट शुल्क 300 अन्य शुल्क 2090  
कमी मुद्रांक 820 कुल योग 7740  
रसीद संख्या 224 दिनांक १-१२-११  
2319

उप पंजिमन नीमकाथाना

राजेश कुमार चयडिया  
आमनारायण  
जाडिड, जवाहार  
नीमकाथाना पट्टा-१९

Rajni  
Secretary  
Varda Seva Samiti  
Neemkathana (Sikar) Raj.



उप पंजिमन नीमकाथाना

—: पृष्ठ संख्या 2 :-

के लिए संपरिवर्तित भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 के अधीन इसके पुनरीक्षित अकृषि प्रयोजन (संस्थानिक प्रयोजन) के लिये संपरिवर्तन प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर द्वारा किया गया है।

संलग्न : संपरिवर्तन आदेश

दिनांक : 09-12-2011

स्थान : नीमकाथाना

निष्पादनकर्ता

साक्षीगण :-

1. जयपुराबाहादुरकाब पुत्रजी  
बन्शीधर ..... 61पी. - बड़वाला  
प्रा. शादराटा तह. खेतड़ी  
जाली (मेघवाल) आयु- 30 वर्ष
2. बहादुर सिंह जायस पुत्रजी  
ग्यारसीलाल भाति - जाली आयु- 31 वर्ष  
प्रा. पो. मन्डौली तह. - नीमकाथाना  
जिला - सीकर (राज.)

Rajesh



(वरदा सेवा समिति, नीमकाथाना)  
जरिये सचिव राजेश कुमार कटारिया  
पुत्र श्री ओमनारायण कटारिया  
निवासी- जोशी कॉलोनी, नीमकाथाना  
जिला- सीकर (राजस्थान)  
Secretary  
Varda Seva Samiti  
Neemkathana (Sikar) Raj.


जयपुर मंडल  
 जयपुर जिला  
 जयपुर तहसील  
 जयपुर तहसील (2)

सतः प्रमाणित किया जाये कि निम्नलिखित विवरण सही है।

  
 जयपुर तहसील का प्रमुख


9-12-11  
 311 40 4030  
 307 122-123  


## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक - एफ 16 (51) भू.रू. / ग्रामीण / राजस्व / 11 /


दिनांक

## पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0जयपुर के पत्र क्रमांक प 2 (101) राजस्व/भू.रू./2009 दिनांक 30.8.2011 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में आवेदक खातेदार वरदा सेवा समिति, वार्ड न0 3, नीमकाथाना, जिला सीकर के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	वरदा सेवा समिति, वार्ड न0 3, नीमकाथाना, जिला सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	आदेश की सं0 तथा तारीख उपदर्शित करते हुए भूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	जिला कलक्टर, सीकर का आदेश क्रमांक- एफ 16 (51) भू.रू. /ग्रामीण/राजस्व/08/6588-96 दिनांक 17.12.2008 (आवासीय प्रयोजनार्थ)
4.	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन	:	आवासीय से सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	:	ग्राम चला ग्राम पंचायत चला तहसील नीमकाथाना
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल(हेक्टर में)	:	ख0न0 475 रकबा 1.35 है0 में से 13438.24 वर्ग मीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)	:	ख0न0 475 रकबा 1.35 है0 में से 13438.24 वर्ग मीटर
	टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है.	:	-
6.	मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर	:	7.50/-रू. प्रति वर्ग मीटर
7.	मूल आवेदन के साथ जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम, चालान की सं0 तथा तारीख सहित पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर	:	चालान नं. 166 दिनांक 8.12.08 राशि 101678/-रू.
8.		:	7.72/-रू. प्रति वर्ग मीटर
9.	चालान की सं0 तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर की जमा करायी गयी रकम	:	चालान नं0 172 दिनांक 16.9.2011 राशि 2636/-रू0
10.	चालान की सं0 तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	:	-
11.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	:	-
12.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए निर्माण किया जावेगा।

.....2

  
 उप-मंडीयक  
 नीमकाथाना (सीकर)

13 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा -

1. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
3. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा।
4. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6).राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
5. कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू-भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखना होगा।
6. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
7. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। एवं विक्रय/अन्तरण नियम 11 के अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति के नहीं किया जा सकेगा।
8. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान के तहत विधालय कैम्पस में पेड़ लगाने होंगे।
10. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढाचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

स  
प्राधिकृत अधिकारी  
(जिला कलक्टर, सीकर)

क्रमांक:- एफ.16(21) भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/11/8273-81

दिनांक:- 12-X-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
5. तहसीलदार, नीमकाथाना
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, चला पं0 स0 नीमकाथाना
7. वरदा सेवा समिति, वार्ड न0 3, नीमकाथाना जिला सीकर
8. रक्षी पत्रावली

स  
जिला कलक्टर  
(जिला कलक्टर, सीकर)  
सीकर

स  
उप-पंजीयक  
नीमकाथाना (सीकर)

नम्बर रसीद संख्या

24  
2319

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम
2. लेख्य-पत्र की किस्म
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई

वर्धा लेखा समिति  
 नम कायाव्य 11/12/11  
 राजेशकुमार  
 नाथरूप  
 जैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 4180
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 300
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 300

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस

ग. विविध फीस :

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस ..
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. 550
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता .. 870
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस .. 1
- (6) संरक्षण फीस 2090
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस ..
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस

7740

फीस के प्राप्त होने की तारीख

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

9/12/11  
9/12/11

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर  
सहायक न्यायाधीश (सीकर)